न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व अपील संख्या 04/2022 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलाण्टगण	बनाम	उत्तरदातागण
1. हुसैनखान पुत्र अलीशेर 2. मठारखान पुत्र अलीशेर 3. रोशनखान पुत्र अलीशेर 4. मराही पत्नी अलीशेर जाति मुसलमान, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती 2. इसाखान पुत्र नूराखान 3. सुरतानखान पुत्र नूराखान 4. जमी पत्नी रेशम 5. निहाली पुत्री रेशम जाति मुसलमान, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार शिव 7. अधिकृत प्रतिनिधि Renew Solar (Shakti Five) Private Limited जैसलमेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता अपीलाण्ट – श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 2 से 5 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20.12.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलाण्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1432/1223, 1433/1223 रकबा क्रमशः 22.8243, 0.1618 हैक्टेयर के मौजा तालों का पार, पटवार मण्डल कोटड़ा, तहसील शिव में आये हुए है। अपीलाण्ट की दादी सजनी पत्नी नूराखान का स्वर्गवास दिनांक 25.01.2022 को होने पर फौतगी नामांतरकरण संख्या 662 दिनांक 19.05.2022 को स्वीकृत किया गया, जिसमें मृतका सजनी पत्नी नूराखा के वारिश मात्र उत्तरदाता संख्या 2 व 3 को बताकर नामांतरकरण उत्तररदाता संख्या 2 व 3 के नाम से पारित किया गया, जबकि अपीलाण्टगण एवं उत्तरदाता संख्या 1 भी मृतका सजनी पत्नी नूराखान के विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया है। उक्त विवादित आराजी में मुतवफी सजनी का खातेदारी हिस्सा 1/8 था, जिससे उक्त आराजी में सजनी के 1/8 हिस्से में से अपीलाण्टगण का खातेदारी हिस्सा 1/3 तथा उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का खातेदारी हिस्सा 1/3–1/3 बनता है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये तथा अपीलाण्ट को बिना सूचित किये बेबुनियाद व मनगढंत तथ्यों के आधार पर एकतरफा नामांतरकरण पारित किया गया, जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलाधीन नामांतरकरण सर्वथा गलत, अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार के गलत व विधि विरूद्ध नामांतरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलाण्ट को उक्त त्रूटिपूर्ण नामांतरकरण का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 02.11.2022 को होने से यह अपील वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर म्याद पेश है, साथ ही अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु एहतियात के तौर पर अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर मौजा तालों का पार के नामान्तरकरण संख्या 662 में खसरा नम्बर 1432/1223, 1433/1223 रकबा क्रमशः 22.8243, 0.1618 हैक्टेयर पर पारित उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती द्वारा पारित नामांतरकरण निरस्त कर अपीलाधीन आराजी के राजस्व रेकर्ड में सजनी पत्नी नूराखान के स्थान पर उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के साथ अपीलाण्टगण की संयुक्त खातेदारी का नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उत्तरदातागण को जरीये सम्मन जबाव हेतु तलब किया गया। जिस पर उत्तरदातागण संख्या 2 व 3 की ओर से जरीये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार की जाती है तो हम उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा अपना जवाब पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व में पारित नामांतरकरण संख्या 662 को निरस्त किया जाकर सजनी पत्नी नूरखान के स्थान पर अपीलाण्टगण तथा उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज करने का नामांतरकरण पारित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई। उत्तरदाता संख्या 4, 5 व 7 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपनी माता सजनी के विधिक वारिशान के संबंध में 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी पेश किया गया।

पत्रावली मे अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मौजा तालों का पार के खसरा नम्बर 1432/1223, 1433/1223 रकबा क्रमशः 22.8243, 0.1618 हैक्टेयर पर उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 662 निरस्त कर अपीलाधीन आराजी के राजस्व रेकर्ड में सजनी पत्नी नूराखान के स्थान पर उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के साथ अपीलाण्टगण की संयुक्त खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार आदेश पारित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 662 मौजा तालों का पार, तहसील शिव का अवलोकन करने पर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार सजनी के फौत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत वारिशान के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, किन्तु उक्त नामांतरकरण में मृतका सजनी के समस्त विधिक वारिशान के नाम खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज नहीं किये जाने से उक्त नामांतरकरण त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक है। उत्तरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत कर पारित नामांतरकरण संख्या 662 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी में उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के साथ अपीलाण्टगण के नाम खातेदारी में दर्ज करते हुए नामांतरकरण पारित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है तथा साथ ही विधिक वारिशान के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 662 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1432/1223, 1433/1223 रकबा क्रमशः 22.8243, 0.1618 हैक्टेयर (मूल खसरा नम्बर 1223 रकबा 22.9861 हैक्टेयर) भूमि में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 662 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में मृतका सजनी पत्नी नूराखान के विधिक वारिशान के संबंध में नियमानुसार जांच कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत सही नामान्तरकरण पारित करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 20.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner